न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री जगदीशसिंह आशिया ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 69 / 2023

प्रार्थीगण   बनाम   विप्रार्थीगंण

प्रार्थीगण

1. अनाराम पुत्र रूपाराम उम्र 68 वर्ष
2. नवलाराम पुत्र रूपाराम उम्र 62 वर्ष
3. शेराराम पुत्र रूपाराम उम्र 52 वर्ष

जातियान जाट निवासी कोशलू
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगंण

1. अचलाराम पुत्र दलाराम उम्र 35 वर्ष
2. अचलाराम पुत्र चिमनाराम उम्र 21 वर्ष
3. उदाराम पुत्र देराजराम उम्र 48 वर्ष
4. केशाराम पुत्र देराजराम उम्र 46 वर्ष
5. खेताराम पुत्र भीखाराम उम्र 30 वर्ष
6. चूनीदेवी पत्नि चिमनाराम उम्र 65 वर्ष
7. ठाकराराम पुत्र चिमनारामउम्र 22 वर्ष
8. डालूराम पुत्र दलाराम उम्र 45 वर्ष
9. देवाराम पुत्र चिमनाराम उम्र 19 वर्ष
10. पूनमाराम पुत्र भूराराम उम्र 65 वर्ष
11. पाबुराम पुत्र चिमनाराम उम्र 24 वर्ष
12. राईदेवी पत्नि भीखाराम उम्र 60 वर्ष
13. रामाराम पुत्र निम्बाराम उम्र 50 वर्ष
14. हुकमाराम पुत्र दलाराम उम्र 25 वर्ष
15. हडमानराम पुत्र चिमनाराम उम्र 30 वर्ष

जातियान जाट निवासी कोशलू
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

16. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा
ग्रामीण बैंक शाखा सिण जिला बाड़मेर
17. तहसीलदार सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:42:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, [illegible] 1955

उपस्थिति–

1.श्री पाबूराम बेनीवाल, वकील प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2.श्री भंवरलाल सारण,वकील विप्रार्थी संख्या 1 से 15 की ओर से उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

3.राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 17 की ओर से उपस्थित।

4.विप्रार्थी संख्या 16 एकतरफा।

आदेश

दिनांक– 18.11.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 378 / 343 रकबा 7.2406 हैक्टयर ग्राम कोशलू पटवार क्षेत्र कोशलू तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी संख्या 01 से 15 का खेत खसरा संख्या 344 / 223 रकबा 10.2096 हैक्टयर भूमि आये हुए है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स. 1 से 15 की उक्त खसरे की भूमि में से होकर गुजरना पड़ता है। प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थीगण ने ग्राम कोशलू तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 344 / 223 भूमि में होकर रास्ते के रूप में आवागमन हेतु प्रस्तावित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्र्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 1 से 15 की ओर से अधिवक्ता श्री भंवरलाल सारण की तरफ वकालतनामा एवं जवाब पेश किया एवं विप्रार्थी संख्या 06 की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। विप्रार्थी संख्या 16 बावजूद रजिस्ट्र्ड नोटिस तामील के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विवादित भूमि की मौका रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

दोनो पक्षों के विद्वान अधिव[illegible] सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण ने आवेदन [illegible] बहस में तर्क दिए थे,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 378 / [illegible] रकबा 7.2406 हैक्टयर ग्राम कोशलू पटवार क्षेत्र कोशलू तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी संख्या 01 से 15 का खेत खसरा संख्या 344 / 223 रकबा 10. 2096 हैक्टयर भूमि आये हुए है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:42:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स. 1 से 15 की उक्त खसरे की भूमि में से होकर गुजरना पड़ता है। प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः रास्ते के रूप में आवागमन हेतु प्रस्तावित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे। आगे ओर कथन किया था,कि प्रस्तावित रास्ते की तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौका जांच की गई और मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण को रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है। अतः तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा अपनी ओर से यह भी स्पष्ट किया कि आवेदन के सलंग्न प्रस्तुत प्रस्तावित भूमि के नजरी नक्शा एवं तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका जांच के सलंग्न प्रस्तावित नक्शे में भूमि का आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए खसरा नम्बर 344/223 के साथ-साथ खसरा नम्बर 379/343 में नया मार्ग प्रशस्त किया गया है। प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 01 से 15 को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

इसके विपरीत वकील विप्रार्थी संख्या 1 से 15 ने अपनी ओर से जवाब के तथ्यों को गौण करते हुए अपनी बहस में कथन किया कि आवेदन पत्र में चाही गई इस्तदुआ के क्रम में पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से जरिये राजीनामा के तोर पर प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 344/223 के साथ-साथ सेढ़ा पड़ौसी खेत खसरा नम्बर 379/343 में से प्रस्तावित रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे। जिसके लिए खसरा नम्बर 379/343 के खातेदार बिना क्षतिपूर्ति राशि के रास्ता देने हेतु सहमत है

विप्रार्थी संख्या 17 की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार आवेदन पत्र का निस्तारण किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:42:13 IST
Reason: SelfAttested

हमनें दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस [illegible]नन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण की ओर से अपनी सहखातेदारी खेत मौजा कोशलू तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 378/343 से होकर मुख्य सड़क तक पंहुचने के लिए बीच ग्राम कोशलू तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 344/223 में से नये रास्ते के रूप में स्वीकृत करने हेतु आवेदन पेश किया

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

गया। जिसमें तहसीलदार सिणधरी से मौका स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय के आदेश दिनांक 26.09.2023 के द्वारा तलब की गई। तहसीलदार सिणधरी द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में मौका जांच कर रिर्पोट पत्र कमांक 2974/12.11.2024 के द्वारा पेश की गई। जिसमें स्पष्ट अंकन किया कि मौजा कोशलू तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 378/343 से सड़क मार्ग पहुचनें के लिए निकटतम रूप से खसरा संख्या 344/223 व 379/343 में से होकर गुजरना पड़ता है,और इसके अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट होता है,कि प्रार्थीगण को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए उक्त खेत में से होकर गुजरना पड़ता है और अन्य विकल्प रास्ता नहीं है। जिससे साबित होता है,कि प्रार्थीगण को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क मार्ग तक पहुचनें के लिए प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र वैकल्पिक है। साथ ही वकील प्रार्थी द्वारा अपनी ओर प्रस्तुत लिखित बहस के तथ्यों में भी उल्लेखित किया है कि प्रार्थीगण का खातेदारी जोत तक आवागमन का कोई वैकल्पिक जरिये नहीं होने तथा प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता होने एवं सबसे निकटतम दूरी पर सड़क मार्ग से जुड़ने का एक मात्र विकल्प विप्रार्थीगण संख्या 1 से 15 के विरूद्ध पेश किया। कि प्रार्थीगण के खेत तक आवागमन का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा सबसे निकटतम दूरी पर विप्रार्थीगण संख्या 1 से 15 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 344/223 के साथ–साथ खेत खसरा संख्या 379/343 में होकर सड़क तक जोड़ा जा सकता है। खसरा संख्या 379/343 के खातेदार को रास्ता देने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा सहमति स्वरूप तहसीलदार की मौका रिपोर्ट में स्वयं उपस्थित होकर सहमति जताते हुए हस्ताक्षर कर रास्ते देने की सहमति प्रकट की। इस प्रकार रास्ते हेतु निर्धारित विधिक प्रावधान अर्थात् प्रार्थीगण के खातेदारी जोत तक आवागमन का विकल्प का उपलब्ध नहीं होना, आत्यंतिक आवश्यकता का होना एवं सबसे निकटतम विकल्प विप्रार्थीगण के खेत में से होना सभी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है एवं मौका रिपोर्ट में वर्णित स्थान पर रास्ता देने हेतु सहमति प्रकट करना भी प्रार्थीगण के तथ्यों को मजबूती प्रदान करने से प्रार्थीगण का आवेदन प्रथम दृष्टया विधि पोषित एवं वैध प्रावधानों के अनुरूप होने से स्वीकार योग्य है। तहसीलदार सिणधरी की मौका रिपोर्ट भी प्रार्थी की जायज व विधिक मांग की पुष्टि करती है तथा रास्ते में आने वाले विप्रार्थीगण की भूमि के ऐवज में निर्धारित क्षेत्रफल की राशि प्रार्थीगण, विप्रार्थीगण को अदा करने हेतु तत्पर है, प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति/प्रतिफल राशि का भुगतान कर रास्ता प्राप्त करना चाह रहे है। इस प्रकार रास्ते हेतु खसरा संख्या 344/223 में लम्बाई 137 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर रकबा 0.0822 हैक्टयर, खसरा संख्या 379/343 में लम्बाई 149 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर रकबा 0.0894 हैक्टयर का रास्ता प्रस्तावित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:42:13 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर सिंचित सड़क से दूर राशि 583519/– रूपयें प्रति हैक्टयर है। **नियमानुसार** रास्ते में प्रभावित भूमि के खातेदारान को उक्त भूमि की डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थीगण से दिलवाने जाने का प्रावधान है। इस प्रकार सकल रूप से 200300/– राशि विप्रार्थीगण को दी जानी प्रस्तावित है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण रास्ता पाने के हकदार है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने हेतु सहमत है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम कोशलू तहसील सिणधरी की विप्रार्थीगण की खातेदारी खेत खसरा संख्या 344/223 में लम्बाई 137 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर रकबा 0.0822 हैक्टयर, खसरा संख्या 379/343 में लम्बाई 149 व चौड़ाई 6 मीटर रकबा 0.0894 हैक्टयर भूमि मौका रिपोर्ट के संलग्न दर्शित नक्शे में बरंग हरा कलर ----दर्शाये अनुसार चौड़ा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति कुल राशि–200300/–अक्षरे दो लाख तीन सौ रूपयें मात्र तहसील कार्यालय सिणधरी में संधारित जी.ए.55 रसीद के जरिये राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिणधरी को उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिणधरी के पत्र क्रमांकःभू.अ./वाद/2024/2974 दिनांक 12.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(जगदीशसिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 18.11.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:42:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी